# Rajasthali Law Institute

**Prelims test series**

## CRPC PAPER-4

**(Chapter 17 to 21A)**

**1)**दण्ड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में वारण्ट मामलों के विचारण की प्रक्रिया दी हुई है**?(M.P. A.P.O. 2008)**

(a) धारा 238 से 250 तक

(b) धारा 251 से 259 तक

(c) धारा 260 से 265 तक

(d) धारा 225 से 237 तक

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**1) In which sections of the Code of Criminal Procedure, the procedure for trial of warrant cases is given?**

(a) Section 238 to 250
(b) Section 251 to 259
(c) Section 260 to 265
(d) Section 225 to 237

**2)**किस विचारण में अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है?**(M.P. (CJ) 2011 Uttarakhand (CJ) 2014)**

(a) सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण
(b) वारण्ट मामलों का विचारण
(c) समन मामलों का विचारण
(d) ये सभी

**2) In which trial it is not necessary for the accused to be heard on the question of punishment?**

(a) Trial before the Court of Session

(b) Trial of warrant cases
(c) Trial of summons cases
(d) All of these

**3)**यदि वारण्ट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है, तो वह**-(Jharkhand (CJ) 2012)**
(a) उसे उन्मोचित कर देगा
(b) उसे दोषमुक्त कर देगा
(c) उसे दोषसिद्ध कर देगा
(d) मामले को पुनः सुनेगा

**3) If the Magistrate, in the trial of the warrant case, finds the accused not guilty, he-**
(a) Will discharge him
(b) Will acquit him
(c) Will convict him

(d) Will hear the case again

**4)**वारण्ट मामलों के विचारण की प्रक्रिया, समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया से निम्न आधार पर भिन्न है**-(M.P. A.P.O. 1993)**

(a) समन मामलों में चाहे वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अन्य किसी आधार पर संस्थित हुआ हो, विचारण की प्रक्रिया एक ही है

(b) समन मामलों में अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षण आवश्यक नहीं है

(c) वारण्ट मामलों में आरोप लगाने के पूर्व अभियोजन के प्रमुख साक्षियों की गवाही लेकर की जाती है

(d) समन मामलों में अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने अथवा छोड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं है

**4) The procedure for trial of warrant cases is different from the procedure for trial of summons cases on the following grounds -**

(a) In summons cases, whether the case is instituted on a police report or on any other basis, the process of trial is the same.

(b) In summon cases, examination of the accused under section 313 of the Code of Criminal Procedure is not necessary.

(c) In warrant cases, the testimony of chief witnesses for the prosecution is obtained before charges are frame.
(d) There is no provision for acquittal or release of the accused in summons cases.

**5)**दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार 'आरोप' का निर्धारण कौन कर सकेगा **?(Uttarakhand (CJ) 2018)**
(a) न्यायालय
(b) लोक अभियोजक
(c) संबंधित पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी
(d) उपरोक्त सभी

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**5) According to the Code of Criminal Procedure, who will be able to determine the 'charge'?**

(a) Court

(b) Public Prosecutor

(c) Officer in charge of the concerned police station

(d) All of the above

**6)** वारण्ट मामलों का विचारण, जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हों, शुरू होता है**-(Jharkhand (CJ) 2014 Uttarakhand (CJ) 2014)**

(a) अभियुक्त के खिलाफ आदेशिका जारी करने के साथ

(b) पुलिस रिपोर्ट दायर होने के साथ

(c) विधिवत् आरोप विरचित के बाद

(d) जब अभियुक्त कोर्ट का समन पाकर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है

**6) The trial of warrant cases instituted on a police report commences -**

(a) With the issuance of process against the accused

(b) With the filing of a police report

(c) After duly framing the charges

(d) When the accused appears before the court after receiving court summons

**7).** दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की प्रथम अनुसूची के अनुसार 'सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य राजमार्ग पर की गई लूट **14** वर्ष के कठिन कारावास व जुर्माने से दण्डनीय है।'

इसका विचारण किया जाता है।**(M.P.A.D.P.O. 2015)**

(a) सेशन न्यायाधीश द्वारा

(b) सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा

(c) अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा धारा 28 के अंतर्गत

(d) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

**7). According to the First Schedule of the Code of Criminal Procedure, 1973, 'Robbery committed on the highway between sunset and sunrise is punishable with rigorous imprisonment for 14 years and fine.' It isTried ?**

(a) By the Sessions Judge

(b) By the Assistant Sessions Judge

(c) By Additional Sessions Judge under Section 28
(d) First Class Magistrate

**8).** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **248 (2)** के अंतर्गत**(Uttarakhand A.P.O. 2016)**
(a) दोषसिद्धि एवं दण्डादेश एक ही दिन दिया जा सकता है
(b) दोषसिद्धि एवं दण्डादेश एक ही दिन नहीं दिया जा सकता
(c) (a) तथा (b) दोनों सही है
(d) (a) तथा (b) दोनों गलत है

**8). Under section 248 (2) of the Code of Criminal Procedure**
(a) Conviction and sentence can be given on the same day

(b) Conviction and sentence cannot be given on the same day
(c) Both (a) and (b) are correct
(d) Both (a) and (b) are wrong

**9)**क्या सत्य नहीं है**?** श्रवण **(**सुनवाई**)** दिनांक को यदि परिवादी अनुपस्थित है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मुक्त कर सकता है' यदि अपराध**-**
(a) राजीनामा योग्य है या
(b) असंज्ञेय है
(c) आरोप का निर्माण नहीं हुआ है
(d) उक्त प्रावधान परिवाद पर संस्थित प्रकरण व पुलिस द्वारा संस्थित दोनों में लागू होंगे
**M.P. (CJ) 2007**

**9)What is not true? If the complainant is absent on the date of hearing, the Magistrate can discharge the accused. If the offence-**

(a) Is capable of compromising or

(b) Is non-cognizable

(c) The charges has not been made out

(d) The above provisions will be applicable to both the cases instituted on complaint and those instituted by the police.

**10)** विचारण के दौरान तथा आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी, नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं

होता है, तो तब मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को….?**(Uttarakhand A.P.O. 2016)**

(a) उन्मोचित कर सकेगा

(b) मामला अग्रेसित कर सकेगा

(c) दोषमुक्त कर सकेगा

(d) उपरोक्त सभी

**10) During the trial and before the charge is framed, if the complainant does not appear in the court on the appointed date, then the Magistrate may…….. .accused?**

(a) May discharge

(b) May forward the case

(c) May acquit

(d)All of the above

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**11)**दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन-सी धारा 'प्रतिरक्षा का साक्ष्य' से संबंधित है?**(Uttarakhand (CJ) 2019)**

(a) धारा 264
(b) धारा 243
(c) धारा 237
(d) धारा 242

**11)Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure is related to 'Evidence of defence'?**

(a) Section 264
(b) Section 243
(c) Section 237
(d) Section 242

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**12).** एक मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण के संदर्भ में, निम्न में से कौन-सा कथन सही है?**(Raj(JS) 2019)**

(a) न्यायालय अभियुक्त तथा अभियोजन को सुनने के पश्चात आरोप विरचित करेगा।

(b) न्यायालय अभियोजन तथा अभियुक्त को सुनने के पश्चात अभियुक्त को उन्मोचित कर सकेगा।

(c) अभियुक्त को सुनने की न्यायालय के लिए कोई बाध्यता नहीं है तथा उसे अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी।

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

RAJASTHALI

**12). With reference to the trial of summons cases by a Magistrate, which of the following statements is correct?**

(a) The court will frame charges after hearing the accused and the prosecution.
(b) The court may discharge the accused after hearing the prosecution and the accused.
(c) There is no obligation for the court to hear the accused and he will be told the particulars of the crime.
(d) None of the above.

**13)**एक मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **252** या **255** के तहत अपराध करने का आरोप लगा सकता है**-(Jharkhand (CJ) 2015)**
(a) अध्याय XIX दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

(b) अध्याय XX दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत
(c) अध्याय XXI दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत
(d) अध्याय XV दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

**13) A Magistrate may charge a person for committing an offence under section 252 or 255 of the Code of Criminal Procedure-**
(a) Under Chapter XIX Code of Criminal Procedure
(b) Under Chapter XX Code of Criminal Procedure

(c) Under Chapter XXI Code of Criminal Procedure
(d) Under Chapter XV Code of Criminal Procedure

**14)**एक आवेदन अंतर्गत धारा **257** दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत हुआ जो कि स्वीकृत किया गया तब अभियुक्त को
(a) छोड़ दिया जाएगा
(b) उन्मोचित कर दिया जाएगा
(c) दोषसिद्ध किया जाएगा
(d) दोषमुक्त किया जाएगा
**M.P. (CJ) 2016**

**14) An application was submitted under Section 257 of**

**the Code of Criminal Procedure, which was approved, then the accused**

(a) Will be left

(b) Will be discharged

(c) Will be convicted

(d) Will be acquitted

**15).** समन मामले में मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर कार्यवाही को रोक सकता है। इसका प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** में किस धारा में किया गया है**(M.P.A.D.P.O. 2015 Raj. A.P.O. 2011)**

(a) धारा 258 में

(b) धारा 257 में
(c) धारा 259 में
(d) धारा 209 में

**15). In a summons case, the magistrate can stop the proceedings at any stage before the judgment is pronounced. In which section of the Code of Criminal Procedure, 1973, its provision has been made**

(a) In section 258
(b) In section 257
(c) In section 259
(d) In section 209

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**16)**क्या धारा **258** दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन उन्मोचित किये उ गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है**-(M.P. (CJ) 2016)**

(a) नहीं, उसका पुनः विचारण नहीं किया जा सकता

(b) हां, उस न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था

(c) नहीं, क्योंकि दोहरे दण्ड का सिद्धांत लागू होगा

(d) हां, राज्य सरकार की अनुमति से

**16) Can a person discharged under Section 258 of the Code**

**of Criminal Procedure be tried again for the same offence?**
(a) No, it cannot be re tried
(b) Yes, with the permission of the court by which he was discharged
(c) No, because the principle of double jeopardy will apply
(d) Yes, with the permission of the state government

**17).** एक समन मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है अथवा लाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं होगा कि **-(Raj. (CJ) 2013)**
(a) उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएं, जिसका उस पर अभियोग है

(b) पूछा जाए कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है
(c) पूछा जाए कि क्या वह प्रतिरक्षा करना चाहता है
(d) यथारीति आरोप विरचित किया जाए

**17). In a summons case, when the accused appears or is brought before the Magistrate, it shall not be necessary that -**
(a) State the particulars of the offence with which he is accused
(b) Be asked whether he pleads guilty

(c) Be asked whether he wishes to make a defence.
(d) Charges should be framed as per order.

**18)**किसी दण्डाधिकारी द्वारा की गई निम्न कार्यवाहियों में से कौन सी कार्यवाही विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है**?(M.P. (CJ) 1986)**
(a) उसने एक वारण्ट प्रकरण में अभियोगी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण निरस्त कर दिया
(b) उसने एक समन प्रकरण में अभियोगी की अनुपस्थिति के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया

(c) उसने एक वारण्ट प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने पर भी तुरंत दण्डित नहीं किया तथा प्रकरण में कार्यवाही जारी रखी
(d) उसने एक समन प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने पर भी आगे कार्यवाही जारी रखी।

**18)Which of the following actions taken by a magistrate is against the provisions of law?**
(a) He dismissed the case due to the absence of the plaintiff in a warrant case

(b) He acquitted the accused in a summons case due to the absence of the accused
(c) In a warrant case, even after the accused confessed to the crime, he did not punish him immediately and continued the proceedings in the case.
(d) He continued the proceedings even after the accused confessed to the crime in a summons case.

**19)**मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होगा**-(M.P. A.P.O. 1997)**

(a) विचारण का संचालन लोक अभियोजन द्वारा किया जाना
(b) दं.प्र.सं. की धारा 207 का अनुपालन
(c) दोषी होने के अभिवचन
(d) अभियोग का सारांश बताया जाना

**19)The first stage of the process of trial of summon cases by the Magistrate will be-**

(a) The trial should be conducted by the public prosecution.
(b) Compliance with Section 207 of Crpc
(c) plea of guilty
(d) To state the summary of the indictment

**20).** समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत **?(Uttarakhand (CJ) 2019)**

(a) धारा 302 में

(b) धारा 259 में

(c) धारा 301 में

(d) धारा 322 में

**20). Under which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, the courts have been given the**

**power to convert summons cases into warrant cases?**

(a) In section 302

(b) In section 259

(c) In section 301

(d) In section 322

**21)**न्यायहित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि यह समन मामले का विचारण वारण्ट मामले की तरह कर सकता है, जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है यह दण्डनीय है:**(Uttarakhand A.P.O. 2016 M.P.H.J.S. 2016 Raj. A.P.O. 2015 U.P. A.P.O. 2005, 2011, 2007)**

(a) 6 माह से अधिक के कारावास से
(b) 4 माह से अधिक के कारावास से
(c) एक वर्ष से अधिक के कारावास से
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**21) In the interests of justice the Magistrate has the power to try a summons case like a warrant case, in which the offence for which the case is being tried,is punishable:**

(a) By imprisonment of more than 6 months
(b) By imprisonment of more than 4 months

(c) imprisonment for more than one year
(d) None of the above

**22).** निम्नलिखित में से कौन-सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है?**(Uttarakhand A.P.O. 2010)**
(a) सदोष अवरोध
(b) अपहरण
(c) रिष्टी
(d) वे अपराध जो मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास अथवा दो वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दण्डनीय नहीं है।

**22). Which of the following offences is triable summarily?**

(a) Wrongful restraint
(b) Abduction
(c) Mischief
(d) Offences which are not punishable with death penalty, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding two years.

**23)**निम्नांकित में किस अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है**?(M.P. A.P.O. 2008)**
(a) तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध
(b) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध

(c) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 380 तथा 381 के अधीन चोरी, जहां चुराई हुई सम्पत्ति का मूल्य दो सौ रुपयों से अधिक नहीं है
(d) पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण

**23) For which of the following crimes, summary trial cannot be conducted?**

(a) Offence punishable with imprisonment up to three years
(b) Offences under sections 454 and 456 of the Indian Penal Code

(c) Theft under sections 379, 380 and 381 of the Indian Penal Code, where the value of the stolen property does not exceed two hundred rupees.
(d) Abetment of any of the foregoing offences.

**24)**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **260** में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता है**?(M.P.A.P.O. 2009)**
(a) कोई मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
(b) कोई मेट्रोपोलिटन दण्डाधिकारी

(c) प्रथम श्रेणी का कोई दण्डाधिकारी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया है
(d) उपरोक्त सभी

**24)Which of the following courts can conduct summary trial of the crimes mentioned in Section 260 of the Code of Criminal Procedure?**
(a) Any Chief Judicial Magistrate
(b) Any metropolitan magistrate
(c) Any magistrate of the first class who has been authorized by the High Court
(d) All of the above

**25)** निम्न में से किसे संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति नहीं है?**(Raj. A.P.O. 2015)**

(a) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(b) महानगर मजिस्ट्रेट

(c) उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट

(d) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट

**25) Who among the following does not have the power of summary trial?**

(a) Chief Judicial Magistrate

(b) Metropolitan Magistrate

(c) Magistrate appointed by the High Court
(d) Magistrate of the second class

**26).** निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है**?**
(a) गम्भीर उपहति का
(b) चौरी का जबकि चुराई हुई सम्पत्ति का मूल्य 200 रु. से कम है
(c) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454 तथा 456 के अंतर्गत अपराध
(d) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 (vii) के अंतर्गत अपराधों के दुष्प्रेरण का अपराध

**M.P.A.P.O. 2002**

**26). Which of the following offences cannot be tried summarily?**

(a) Of serious injury

(b) Theft when the value of the stolen property. is less than Rs 200

(c) Offence under sections 454 and 456 of the Indian Penal Code

(d) Crime of abetment of offence under section 260 (vii) of the Code of Criminal Procedure.

**27)**एक मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने संक्षिप्त विचारण किया तथा अभियुक्त को छः मास के साधारण कारावास से

दण्डित किया। दण्डाधिकारी द्वारा प्रदत्त दण्डाज्ञा-**(M.P. (CJ) 1986)**

(a) विधि के प्रावधान के विपरीत है

(b) विधिवत् है

(c) अत्यन्त कठोर है

(d) उचित है

**27) A Chief Judicial Magistrate conducted a summary trial and sentenced the accused to six months' simple imprisonment. Sentence given by Magistrate-**

(a) Is contrary to the provisions of law

(b) Is lawful

(c) Is very hard

(d) Is appropriate

**28)**निम्न में से कौन धारा **263** के अनुसार सारांश परीक्षणों में रिकॉर्ड का एक ब्योरा नहीं हो सकता है?
**(Raj. A.P.O. 2015)**
(a) आरोपी का वंश
(b) शिकायतकर्ता का वंश
(c) निष्कर्ष
(d) तारीख, जिस पर कार्यवाही समाप्त की गई

**28)Which of the following cannot be a statement of record in summary trials as per section 263?**

(a) Parentage of the accused
(b) Parentage of the complainant
(c) Conclusion
(d) Date on which the proceedings were concluded

**29)**सौदा अभिवाक् "प्ली बारगेनिंग" का अध्याय दं.प्र.सं. में जोड़ा गया है**(M.P.H.J.S. 2017 U.P. (CJ) 2006)**
(a) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा (अधिनियम संख्या 25, सन् 2005)
(b) दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा (अधि. संख्या 2, सन् 2006)

(c) दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा
(d) दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा

**29) Chapter 'Plea Bargaining' has been added to the Criminal Procedure Code.**
(a) Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005 (Act No. 25, 2005)
(b) By the Criminal Law (Amendment) Act, 2005 (Act No. 2, 2006)
(c) By the Criminal Procedure (Amendment) Act, 2006

(d) By the Criminal Law (Amendment) Act, 2003

**30)**यदि संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तब उसे दंड दिया जा सकेगा**-(M.P. (CJ) (S-II) 2018, 2019)**

(a) तीन माह से ज्यादा नहीं

(b) छः माह से ज्यादा नहीं

(c) एक वर्ष से ज्यादा नहीं

(d) दो वर्ष से ज्यादा नहीं

**30)If the accused is convicted under summary trial, then he can be punished-**

(a) not more than three months

(b) not more than six months
(c) not more than one year
(d) not more than two years

**31).** उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई भी द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकता है जो कि ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय है, जो**(Jharkhand A.P.P. 20180**
(a) तीन माह से ज्यादा न हो
(c) एक वर्ष से ज्यादा न हो
(b) छः माह से ज्यादा न हो
(d) दो वर्ष से ज्यादा न हो

**31). Any Magistrate of the second class authorized by a High Court may try summarily any offence which is punishable with imprisonment for such term as**

(a) not more than three months

(b) not more than six months

(c) not more than one year

(d) not more than two years

**32)**संक्षिप्त विचारण के लिए मजिस्ट्रेट को पालन करना होगा**-(M.P. (CJ) 1993)**

(a) सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकथित प्रक्रिया

(b) समन प्रक्रिया
(c) वारण्ट प्रक्रिया
(d) उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रक्रिया

**32)For summary trial the Magistrate will have to follow-**

(a) Procedure laid down in the Code of Civil Procedure
(b) Summon process
(c) Warrant process
(d) Process as per the instructions of the High Court

**33)**दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी

मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है?

(a) धारा 260 में

(b) धारा 261 में

(c) धारा 262 में

(d) धारा 263 में

**U.P. (CJ) 2016**

**33)Under which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973, it is stated that a Second Class Magistrate can conduct a summary trial?**

(a) In section 260

(b) In section 261

(c) In section 262

(d) In section 263

**34)**'प्ली बार्गेनिंग' एक नया अध्याय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, **2005 (2006** का **2)** द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** में जोड़ा गया है में निहित है**-(Jharkhand (CJ) 2015)**
(a) धारा 265 ए से 265 एन
(b) धारा 265 ए से 265 एम
(c) धारा 265 ए से 265 एल
(d) धारा 265 ए से 265 ई

**34) 'Plea Bargaining' is a new chapter added to the Code of Criminal Procedure, 1973 by the**

**Criminal Law Amendment Act, 2005 (2 of 2006) contained in-**

(a) Section 265A to 265N

(b) Section 265A to 265M

(c) Section 265A to 265L

(d) Section 265A to 265E

**35)**प्ली बारगेन का लाभ, एक आरोपी को नहीं दिया जा सकता है, यदि वह ऐसे अपराध में लिप्त है, जिसमें:

(a) सजा 7 वर्ष से कम है

(b) अपराध मामूली अपराधों से संबंधित है

(c) अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है

(d) अपराध 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से संबंधित है

**Chhattisgarh (CJ) 2016**

**35)The benefit of plea bargain cannot be given to an accused if he is involved in an offence which:**

(a) The punishment is less than 7 years

(b) The crime belongs to minor offences

(c) the offence relates to children under 14 years of age

(d) The offence relates to children above 14 years of age

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**36)**वह अपराध जो देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रमावित करते हैं, जिन पर अभिवाकृ चर्चा लागू नहीं है, को अधिसूचित किया जाएगा**-(Raj. (CJ) 2013**
**U.P. H.J.S. 2018**
**U.P.H.J.S. (P-II) 2018**
**U.P.H.J.S. (P-III) 2018)**
(a) राज्य सरकार द्वारा
(b) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा
(c) मानवाधिकार आयोग द्वारा
(d) केंद्र सरकार द्वारा

**36) Offences which reflect the socio-economic condition of the country, to which the propositional discussion is not applicable, will be notified -**

(a) By the state government

(b) By Scheduled Caste/Scheduled Tribe Commission

(c) By Human Rights Commission

(d) By the central government

**37)**अभिवाक् सौदेबाजी के प्रावधान प्रयोज्य हैं, केवल **:(M.P. (CJ) 2010)**

(a) किशोर अपराधियों को

(b) अपीलीय प्रक्रम पर

(c) सात वर्ष से अधिक दण्ड से दण्डनीय अपराध में
(d) धारा 204 के अंतर्गत तामील जारी होने के बाद

**37)The provisions of plea bargaining are applicable only :**
(a) Juvenile criminals
(b) On the appellate process
(c) In an offence punishable with imprisonment for more than seven years.
(d) After service is issued under section 204

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**38)**अपराध दंड सौदे (प्ली बारगेनिंग) का सिद्धांत निम्न में से किस दण्डनीय अपराध के लिए लागू नहीं है?**(Chhattisgarh (CJ) 2017)**

(a) 2 साल की कैद

(b) 3 साल की कैद

(c) आजीवन कैद

(d) 1 साल की कैद

**38)The principle of plea bargaining is not applicable to which of the following punishable offences?**

(a) 2 years imprisonment

(b) 3 years imprisonment

(c) Life imprisonment

(d) 1 year imprisonment

**39)**अभिवाक् सौदेबाजी' प्रावधान किस पर लागू होते हैं?**(U.P. A.P.O. 2015)**
(a) भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर
(b) स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों पर
(c) 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध अपराधों पर
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**39)To whom do the 'plea bargaining' provisions apply?**
(a) On crimes affecting the socio-economic conditions of India

(b) On crimes against women
(c) On crimes against children below 14 years of age
(d) None of the above

**40)**कोई अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** के अंतर्गत सौदेबाजी का अभिवाक् करने के लिए आवेदन कर सकता है, यदि उसने किया है एक अपराध-
(a) डकैती का
(b) लूट का
(c) चोरी का
(d) बलात्कार का
**Uttarakhand (CJ) 2016**

**40) An accused may apply for plea bargain under the Code of Criminal Procedure, 1973, if he has committed an offence-**

(a) Of dacoity

(b) Of robbery

(c) Of theft

(d) Of rape

**41)**दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** के अंतर्गत सौदा अभिवाक् के लिए निम्न में से कौन आवेदन कर सकता है**?(U.P. (CJ) 2015)**

(a) लोक अभियोजक

(b) अन्वेषण अधिकारी

(c) अपराध से पीड़ित व्यक्ति

(d) अभियुक्त

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**41)Who among the following can apply for a plea bargain under the Code of Criminal Procedure, 1973?**

(a) Public Prosecutor

(b) Investigation Officer

(c) a person who is a victim of crime

(d) Accused

**42).** कोई अभियुक्त अनुनय समझौते **(**प्ली बारगेनिंग**)** का आवेदन पत्र कहां दाखिल कर सकता है**?**

(a) किसी न्यायालय में।

(b) जिला न्यायालय में।
(c) उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचाराधीन है।
(d) उच्च न्यायालय में।
**U.P.A.P.O. (Spl.) 2007**

**42). Where can an accused file an application for plea bargaining?**
(a) In any court.
(b) In the District Court.
(c) In the Court where such offence is under-trial
(d) In the High Court.

**43).** निम्न में से कौन-से मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई थी?**(Chhattisgarh (CJ) 2016)**

(a) फिलिप बनाम चेज

(b) ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ फाइनांस

(c) आर बनाम एक्स जस्टीस, एक पक्षीय (एक्स पार्ट)

(d) पोलंस्की बनाम कॉड नास्ट प्रकाशन

**43). In which of the following cases video conferencing was allowed?**

(a) Phillip vs Chase

(b) Brown vs. Board of Finance

(c) R vs. X Justice, ex parte

(d) Polanski vs. Cod Nast Publications

**44)**प्ली बार**-**गेनिंग के मामलों में अदालत द्वारा दिया गया निर्णय है**:(U.P.H.J.S 2016**
**U.P.H.J.S. (P-III) 2018)**
(a) अंतिम
(b) अपील योग्य है और अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है
(c) अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका को छोड़कर अंतिम और कोई अपील नहीं है
(d) अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है

**44)The Judgment delivered by a court in cases of plea bar-gaining is:**

(a) Final

(b) Appealable and appeal lies to the High Court

(c) Final and no appeal except SLP under article 136 and writ petition under Article 226 and 227 lies

(d) Appeal lies directly to the supreme Court

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**45)**सीआरपीसी की किस धारा के तहत मामले का निपटारा किया जाता है?

(a)धारा 265

(b)धारा 265ए

(c)धारा 265ई

(d)धारा 265जी

**45)Disposal of the case is given under which section of CRPC?**

a)Section 265

b)Section 265A

c)Section 265E

d)Section 265G

**46)**उन अपराधों के मामलों में जहां आरोप की विरचना आवश्यक है, आरोप की विरचना के पश्चात् विचारण में**(M.P. A.P.O. 1995)**

(a) अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है

(b) अभियुक्त को केवल उन्मोचित अथवा दोषसिद्ध ही ठहराया जा सकता है

(c) अभियुक्त को केवल दोषी ठहराया जा सकता है, या दोषमुक्त किया जा सकता है

(d) अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है या उन्मोचित अथवा दोषमुक्त किया जा सकता है

**46) In cases of crimes where framing of charge is necessary, in the trial after framing of charge**

(a) The accused can be acquitted

(b) The accused can only be acquitted or convicted

(c) The accused can only be convicted, or acquitted

(d) The accused may be convicted or acquitted or acquitted

**47)**अगर आरोपी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **232** के तहत बरी नहीं किया गया है, तो अदालत उसे निम्न

में से क्या दर्ज करने की अपेक्षा करेगी?**(Jharkhand (CJ) 2015)**

(a) उसकी प्रतिरक्षा

(b) उसके वकील

(c) उसका संस्करण

(d) उसका बयान

**47)If the accused has not been acquitted under Section 232 of the Code of Criminal Procedure, the court will require him to record which of the following?**

(a) His immunity

(b) His lawyer

(c) Its version

(d) His statement

**48)**दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दाखिल कर सकता है?**(Bihar H.J.S. 2016)**

(a) धारा 230(2)
(b) धारा 231(2)
(c) धारा 232(2)
(d) धारा 233(2)

**48)Under which of the following provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 can the accused file written statements in support of his defense?**
(a) Section 230(2)
(b) Section 231(2)
(c) Section 232(2)
(d) Section 233(2)

**49)**सत्र न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में यदि न्यायाधीश की राय है कि उक्त अपराध अनन्यतः सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय नहीं है तो यह मामले को विचारण के लिए किसे भेजेगा?**(M.P. A.P.O. 2008)**

(a) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को
(b) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को
(c) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को
(d) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को

**49) In any trial before the Sessions Court, if the Judge is of the opinion that the said offence is not triable exclusively by the Sessions Judge, then to whom will he send the case for trial?**

(a) To the chief historical magician
(b) To the Judicial  Magistrate of the First Class
(c) To the Additional Sessions Judge
(d) To the Chief Judicial Magistrate or any other Judicial Magistrate of the first class

**50)**दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** के अंतर्गत हत्या के मामले में कौन सा न्यायालय विचारण कर सकता है?**(Uttarakhand (CJ) 2008)**

(a) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

(b) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(c) सत्र न्यायाधीश

(d) उपरोक्त में से कोई भी न्यायालय

**50)Which court can try murder cases under the Code of Criminal Procedure 1973?**

(a) First Class Magistrate

(b) Chief Judicial Magistrate

(c) Sessions Judge

(d) Any of the above courts

**51)** निम्न में से कौन-सा कथन गलत है**-(M.P. (CJ) (S-II) 2018)**

(a) जब परिवाद खारिज किया जाएगा, तब न्यायालय को कारणों को अभिलिखित करना होगा
(b) जब अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, तो न्यायालय को कारणों को लिखित करना आवश्यक नहीं है
(c) जब आरोप विरचित किया जाएगा, तब न्यायालय को कारण अभिलिखित नहीं करना है
(d) जब अपराध का संज्ञान लिया जाता है, तब न्यायालय को कारण अभिलिखित नहीं करना है

**51). Which of the following statements is wrong?**

(a) When the complaint is dismissed, the court must record the reasons
(b) When the accused is discharged, it is not necessary for the Court to record the reasons in writing.
(c) The court does not have to record reasons when the charge is framed.

(d) When cognizance of the offence is taken, the court does not have to record reasons.

**52)**ऐसे मामलों में जहां अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारण योग्य है वहां उन्मोचन का आदेश कौन दे सकता है?**(M.P. A.P.O.1995)**
(a) कोई नहीं
(b) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(c) वह मजिस्ट्रेट जिसे मामला सुपुर्द करता है
(d) सत्र न्यायालय

**52)Who can order discharge in cases where the offence is triable exclusively by the Court of Session?**
(a) None
(b) Chief Judicial Magistrate
(c) The magistrate to whom the case is committed
(d) Sessions Court

**53)**दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा सत्र न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को उन्मोचित करने से संबंधित है?**(Bihar H.J.S. 2016)**

(a) धारा 239

(b) धारा 227

(c) धारा 245

(d) धारा 290

**53)Which of the following Sections of the Code of Criminal Procedure deals with discharge of an accused by a court of Session?**

(a) Section 239

(b) Section 227

(c) Section 245
(d) Section 290

**54)**एक मजिस्ट्रेट के समक्ष 'अ' शपथ पर यह कथन करता है कि उसने ब को क्लब में 'स' को मारते देखा था। बाद में सत्र न्यायालय में वह शपथ पर कहता है कि 'ब' ने स को कभी नहीं मारा।**(M.P. A.P.O.1995)**
(a) क्या अभियोजन के पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक होगा कि दोनों में से कौन-सा कथन मिथ्या था?
(b) अ को तभी सजा हो सकेगी जब यह सिद्ध हो जाए कि दोनों में कौन-सा कथन मिथ्या था
(c) उसका अभियोजन विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण होगा
(d) अ पर अनुकल्प में आरोप लगाया जा सकता है और चाहे यह न सिद्ध हो सके कि दोनों विरोधी कथनों में कौन-सा कथन मिथ्या था, फिर भी उसे मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी ठहराया जा सकता है

**54) 'A' states on oath before a Magistrate that he saw B beating 'C' in a club. Later in**

**the Sessions Court he says on oath that 'B' never killed C.**

(a) Would it be necessary to find out which of the two statements was false before prosecution?

(b) A can be punished only when it is proved which of the two statements was false.

(c) His prosecution will be defective in the eye of law

(d) A may be charged in the alternative and even if it cannot be proved which of the two contradictory statements was false, he may still be held guilty of giving false evidence.

**55)**सेशन विचारण में, सेशन न्यायालय किसी अभियुक्त की दोषमुक्ति का आदेश, निर्णय सुनाए जाने से पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की कौन-सी धारा के अंतर्गत कर सकता है**?(Raj. A.P.O. 2011)**

(a) धारा 227 में

(b) धारा 233 में
(c) धारा 235 में
(d) धारा 232 में

**55) In a sessions trial, the Sessions Court can order acquittal of an accused under which section of the Code of Criminal Procedure, 1973, before pronouncing the judgment?**
(a) In section 227
(b) In section 233
(c) In section 235
(d) In section 232

**56)**विचारण के पूर्व अभियुक्त के उन्मोचन का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किन धाराओं में किया गया है?
नीचे दिए गए कूट के सहयोग से सही उत्तर चुनिए :
बिंदु-1 धारा **227**

बिंदु-2 धारा **239**
बिंदु-3 धारा **255**
कूट :**(Uttrakhand (CJ) 2019)**
(a) केवल (1) सही है।
(b) केवल (2) सही है।
(c) (1) एवं (2) दोनों सही हैं।
(d) (1) एवं (3) दोनों सही हैं।

**56) In which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, the provision for acquittal of the accused before trial is made?**
**Select the correct answer with the help of the code given below:**
**Point-1 Section 227**
**Point-2 Section 239**
**Point-3 Section 255**
**Code :**
(a) Only (1) is correct.

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

(b) Only (2) is correct.
(c) Both (1) and (2) are correct.
(d) Both (1) and (3) are correct.

**57)**दं.प्र.सं. की निम्न धाराओं में से किन में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है:**(Uttarakhand (CJ) 2009 U.P. A.P.O. 2002, 2005, 2007)**
(a) 260 से 265
(b) 238 से 250
(c) 251 से 259
(d) 225 से 237

**57) In which of the following sections of the crpc, the procedure for trial before the Sessions Court is provided:**
(a) 260 to 265
(b) 238 to 250
(c) 251 to 259

(d) 225 to 237

**58)**सेशन्स विचारण में अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख सेशन्स जज द्वारा तब निर्धारित की जाती है, जब अभियुक्त**(Jharkhand (CJ) 2012)**

(a) दोषी होने के अभिवाक् से इन्कार कर देता है

(b) विचारण किए जाने का दावा करता है

(c) दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्ध नहीं किया जाता है

(d) उपर्युक्त सभी

**58) The date for prosecution evidence in a sessions trial is fixed by the Sessions Judge when the accused**

(a) Refuses to plead guilty

(b) Claims to be tried

(c) Is not convicted on a plea of guilty

(d) All of the above

**59)**कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति है**-(Jharkhand (CJ) 2015 M.P.H.J.S 2010 Uttarakhand A.P.O. 2010)**

(a) धारा 219 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

(b) धारा 221 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

(c) धारा 222 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

(d) धारा 223 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

**59) Joint trial of several persons is permitted-**

(a) Under Section 219 Code of Criminal Procedure

(b) Under Section 221 Code of Criminal Procedure

(c) Under section 222 of the Code of Criminal Procedure

(d) Under Section 223 Code of Criminal Procedure

राजस्थली RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**60)"A"** एक ऐसे कृत्य का अभियुक्त है जो चोरी अथवा चुरायी गई सम्पत्ति प्राप्त करना या आपराधिक न्यास भंग की कोटि में आ सकता है। **"A"** को चोरी के लिए आरोपित किया जाता है। ऐसा  प्रकट होता है उसने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है**(U.P. (CJ) 2013**
**M.P. (CJ) 1996)**
(a) उसे आपराधिक न्यास भंग के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उसे ऐसे अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया था।
(b) उसे आपराधिक न्यास भंग के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे ऐसे अपराध के लिए आरोपित नहीं द किया गया था।
(c) उसे न तो चोरी और न ही आपराधिक न्यास भंग के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है।
(d) उसे केवल चोरी के लिए ही दोषसिद्ध किया जा सकता है क्योंकि उसे चोरी के लिए आरोपित किया गया था

**60)"A" is accused of an act which may amount to theft or receiving stolen property or criminal breach of trust. “A” has been charged with theft. It appears that he has committed the offence of criminal breach of trust**

(a) He may be convicted of criminal breach of trust although he was not charged with such offence.

(b) He cannot be convicted of criminal breach of trust because he was not charged with such offence.

(c) He can neither be convicted of theft nor of criminal breach of trust.

(d) He can be convicted of theft only because he was charged with theft

**61)12** महीनों के अंदर एक ही प्रकार के अपराधों के लिए अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों

के अनुसार एक साथ आरोपी बनाया जा सकता है।**(Raj. A.P.O. 2015)**

(a) तीन

(b) दो

(c) पांच

(d) चार

**61) The accused may be tried together for similar offences within 12 months in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure.**

(a) three

(b) two

(c) five

(d) four

**62)**दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **219** के अंतर्गत 'एक ही किस्म के अपराध' से तात्पर्य है**-(Bihar (CJ) 2009)**

(a) जब वे दण्ड की समान मात्रा से दण्डनीय होते हैं
(b) जब वे एक ही धारा के अधीन दण्डनीय होते हैं
(c) जब वे भारतीय दण्ड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दण्ड की समान मात्रा से दण्डनीय होते हैं
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**62) Under Section 219 of the Code of Criminal Procedure, 1973, 'offence of the same type' means-**

(a) When they are punishable with equal punishment
(b) When they are punishable under the same section
(c) When they are punishable with the same degree of punishment under the same section of the Indian Penal Code or any special or local law
(d) None of the above

**63)**प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए, जिसका किसी व्यक्ति पर आरोप है, पृथक आरोप होगा। इस नियम का अपवाद दण्ड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में है **?(Uttaranchal (CJ) 2005)**

(a) धारा 219 में

(b) 220 और 222 धाराओं में

(c) 219, 220 एवं 222 धाराओं में

(d) 219, 220, 221 एवं 223 धाराओं में

**63) There shall be a separate charge for each distinct offence with which any person is charged. Which sections of the Code of Criminal Procedure have an exception to this rule?**

(a) In section 219

(b) In sections 220 and 222

(c) In sections 219, 220 and 222

(d) In sections 219, 220, 221 and 223

**64)**आरोप में निम्नलिखित में से कौन-सी विशिष्टि होना आवश्यक नहीं है?**(U.P.A.P.O. (Spl.) 2007)**

(a) उस अपराध का विवरण जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जा रहा है।

(b) आवश्यक रूप से उसमें अन्तर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रुप से कारित किया गया।

(c) अभिकथित अपराध के समय तथा स्थान की विशिष्टियां।

(d) जिस रीति से अपराध कारित किया गया है, उसकी विशिष्टियां।

**64)Which of the following particulars is not necessary in the charge?**

(a) A description of the offence with which the accused is charged.

(b) The section of the law against which the offence is alleged to have been committed, necessarily including the definition of the offence contained therein.

(c) Particulars of the time and place of the alleged offence.
(d) Particulars of the manner in which the offence has been committed.

**65)** दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** के अंतर्गत एक आरोप को लिखा जाएगा**-(Uttarakhand (CJ) 2014)**
(a) उस भाषा मे जिसे अभियुक्त समझता है
(b) उस भाषा में जिसे साक्षी समक्षते हैं
(c) न्यायालय की भाषा में
(d) हिन्दी भाषा में

**65). Under the Code of Criminal Procedure 1973, a charge will be written -**
(a) In a language which the accused understands
(b) In the language which the witness speaks
(c) In the language of the court
(d) In Hindi language
**66)**'आरोप' के संदर्भ में, कौन-सा कथन सही है। हैं?

बिंदु-1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होता है, जिसका अभियुक्त पर आरोप हो सकता है।
बिंदु-2 यदि एक ही संव्यवहार के क्रम में, एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है।
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए
कूट :?**(U.P. (CJ) 2018)**
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2
(d) न तो 1 और न 2

**66) With reference to 'allegation', which statement is correct? Are?**
**Point-1 Under the Code of Criminal Procedure, 1973, every charge states the offence with which the accused may be charged.**

**Point-2 If in the course of the same transaction, more than one offence has been committed by the same person, he may be charged with each such offence at a single trial.**
**Select the correct answer with the help of the code given below:**
**Code :**
(a) only 1
(b) only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

**67)**दण्ड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में प्रावधानित किया गया है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए, जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकतः किया जाएगा" **?(Uttarakhand (CJ) 2015)**
(a) धारा 211
(b) धारा 215

(c) धारा 218
(d) धारा 220

**67) In which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, it is provided that for each distinct offence with which a person is accused, there shall be a separate charge and each such charge shall be tried separately?**
(a) Section 211
(b) Section 215
(c) Section 218
(d) Section 220

**68)"A"** पर **"B"** को लूटने तथा स्वेच्छ्या उपहति कारित करने का आरोप है। क्या **"A"** के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता **1860** की धारा **323,392,394** के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा**?(Uttarakhand (CJ) 2014 Chhattisgarh (CJ) 2003 Raj. J.L.O. 2014)**

(a) हां
(b) नहीं
(c) सत्र न्यायालय की पूर्व अनुमति से
(d) न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है

**68)"A" is accused of robbing "B" and voluntarily causing hurt. Can “A” be separately charged for offences under sections 323,392,394 of the Indian Penal Code, 1860?**
(a) Yes
(b) No
(c) With the prior permission of the Sessions Court
(d) Depends on the discretion of the court

**69)**न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है **-(M.P. (CJ) (S-I) 2018)**
(a) केवल अभियोजन की साक्ष्य समाप्त होने के पूर्व

(b) केवल अपील न्यायालय ही आरोप में परिवर्तन कर सकता है
(c) आरोप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता
(d) निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय

**69) The court can change the charge -**
(a) Only before the prosecution concludes its evidence
(b) Only the Court of Appeal can alter the charge
(c) The charge cannot be changed
(d) At any time before the judgment is pronounced

**70)**आरोपों में परिवर्तन का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** में है **-(Jharakhand (A.P.P.) 2018 Uttarakhand (CJ) 2011, 2014)**
(a) धारा 215
(b) धारा 216
(c) धारा 217

(d) धारा 218

**70)The provision for change in charges is in the Code of Criminal Procedure, 1973 -**

(a) Section 215
(b) Section 216
(c) Section 217
(d) Section 218

प्रश्न 1) बालको अच्छाईयों को अपनाना सीखों।
(आ) भाव वाचक
(ब) जाति वाचक
(स्त्र) व्यक्ति वाचक
(द) अ व ब दोनों

प्रश्न 2) सोहन किसी की बुराई नहीं करता।
(आ) व्यक्ति वाचक
(ब) भाव वाचक
(स) जाति वाचक
(द) समूह वाचक

प्रश्न 3) 33 ब्रह्मचर्य
(अ) जाति वाचक संज्ञा
(ब) व्यक्ति वाचक संज्ञा

राजस्थली
RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

(स) क्रिया
(द) विशेषण

प्रश्न 4) एकता
(अ) जाति वाचक
(ब) व्यक्ति वाचक संज्ञा
(स) क्रिया
(द) विशेषण

प्रश्न 5) यह पानी तो सबका है, वाक्य में 'यह' क्या है?
(अ) संज्ञा
(ब) सर्वनाम
(स) विशेषण
(द) सार्वनाभिक विशेषण

प्रश्न 6) कौन-सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं हैं?
(अ) मिठाई.
(ब) चतुराई
(स) लड़ाई
(द) उतराई

प्रश्न 7) वे कल आएँगे।
(अ) संबंधवाचक
(ब) मध्यपुरुष
(स) अन्यपुरुषवाचक
(द) पुरुषवाचक

प्रश्न 8) मैं बाजार जाऊँगी।
(अ) संबंधवाचक
(ब) मध्यपुरुष
(स) उत्तम पुरुषवाचक
(द) पुरुषवाचक

प्रश्न 9) मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था।
(अ) निश्चयवाचक

(ब) उत्तमपुरुष
(स) सम्बन्धवाचक
(द), निजवाचक

प्रश्न 10) विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं?
(अ) संज्ञा
(ब) सर्वनाम
(स) क्रिया
(द) अ व ब दोनों

प्रश्न 11) विशेषण के कितने भेद है?
(अ) 5
(ब) 4
(स) 6
(द) 7

प्रश्न 12) जो विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
(अ) विधेय विशेषण
(ब) उद्देश्य विशेषण
(स) दोनों (क व ख)
(द) विशेषण

प्रश्न 13) दस ग्राम सोना खरीदा है।" वाक्य में कौनसा विशेषण हैं?
(अ) निश्चित संख्यावाचक विशेषण
(ब) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
(स) निश्चित परिमाणवाचक विशेषण
(द) अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण

प्रश्न 14) घड़ों पानी व्यर्थ बह गया।" वाक्य में कौनसा विशेवण है?
(अ) निश्चित संख्यावाचक विशेषण
(ब) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
(स) निश्चित परिमाणवाचक विशेषण
(द) अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण

प्रश्न 15) "तापमान 6° सेल्शियस बढ गया।" वाक्य में कौनसा विशेषण हैं?

(अ) निश्चित संख्यावाचक विशेषण
(ब) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
(स) न्निश्चित परिमाण वाचक विशेषण
(द) अनिश्चित परिमाण विशेषण

fill in the blanks with appropriate grammar

**1.the culprits.....to gallows  by .....court to their grave offence .**
A.are sent,zero article
B.are sending ,the
C.send,a
D.sent ,the

**Answer a**

**2.i.....by my stern father due to my laxity and apathy .**
A.am scolding
B.am scolded
C.was scolding
D.have been scolding

**Answer b**

**3.by the next month they .....that hugger mugger matter/hush hush matter**
A.had hushed up
B.will have hushed up
C.would have hushed up
D.have hushed up

**Answer b**

**4.my pugnacious neighbour .....with my placid brother since morning**

A.had  been quarreling
B.had quarreled
C.had been quarreled
D.will have quarreled

**Answer a**

**5.now a days the youth .....**

**...murky business to make a quick buck.**

A.are indulging in
B.have been indulging
C.had been indulging
D.indulge

**Answer a**

**6. .....in meadow /pasture in drizzle /mizzle now.**

A.the cattle are grazing
B.the cattles are  grazing
C.the cattles have been grazing
D.the cattle have been grazed

**Answer a**

**7.can you give me .....to carve my career ?**

A.an advice
B.a piece of advice
C.an advise
D.a piece of advise

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

**Answer b**

**8.at present I .....four pieces of bread with tepid milk.**
A.am consuming
B.have been consuming
C.was consuming
D.will be consuming

**Answer a**

**9.when they clobbered a hooligan ,he .....for mercy infront of them.**
A.was grovelling
B.is grovelling
C.will be grovelling
D.has been grovelling

**Answer a**

**10.he has lunged at him since he .....about their murky business.**
A.debunked
B.has debunked
C.debunk
D.debunks

**Answer a**

**write synonyms of following words**

**11.entice**
A.tempt somebody
B threaten somebody
C.scold somebody
D.pat somebody

**Answer a**

राजस्थली
RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

**12.maul**
A.scare somebody
B.beat somebody black and blue
C .encourage somebody
D.barricade somebody

**Answer b**

**13.callow**
A.excessive experienced
B.excessive diligent
C.excessive arrogant
D.excessive inexperienced

**Answer d**

**14.adroit**
A excessive lethargic
B.excessive rich
C.excessive poor
D.excessive expert

**Answer d**

**15.destitute**
A.extremely poor
B.extremely rich
C.extremely arrogant
D.extremelt cunning

**Answer a**

राजस्थली
RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

| question | Hindi | english |
|---|---|---|
| **1** | **b** | **a** |
| 2 | b | b |
| 3 | a | b |
| 4 | d | a |
| 5 | d | a |
| 6 | b | a |
| 7 | c | b |
| 8 | c | a |
| 9 | d | a |
| 10 | d | a |
| 11 | b | a |
| 12 | b | b |
| 13 | c | d |
| 14 | d | d |
| 15 | c | a |

राजस्थली
RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

# Answer key
# Law

1-a
2-c
3-b
4-c
5-a
6-c
7-d
8-b
9-d
10-a
11-b
12-c

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

13-b
14-d
15-a
16-b
17-d
18-a
19-d
20-b
21-a
22-d
23-a
24-d
25-d
26-a
27-a
28-b

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

29-b
30-a
31-b
32-b
33-b
34-c
35-c
36-d
37-d
38-c
39-d
40-c
41-d
42-c
43-d
44-c

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

45-c
46-c
47-a
48-d
49-d
50-c
51-b
52-d
53-b
54-d
55-d
56-c
57-d
58-d
59-d
60-a

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

61-a
62-c
63-d
64-b
65-c
66-c
67-c
68-a
69-d
70-b

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

# English

1-